न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 75/2019

प्रार्थीः– गुदड़राम पुत्र स्व. श्री हेमाराम, जाति–जाट, निवासी– जाजीवाल खींचियान जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांकः– 12-1-2021

उपस्थितिः– श्री अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
सरकारी पैरोकार अप्रार्थी।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर बताया गया कि मौजा **जाजीवाल खींचियान चक नम्बर 1 व चक नम्बर 3 देवरा** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** में वह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में **गुदड़राम** दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही का नाम **गजेन्द्र चौधरी** है, साक्ष्य के तौर पर स्वंय/पिता का उनके द्वारा **राशनकार्ड, अंकतालिका, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड** पेश किये गये हैं एवं निवेदन किया गया कि उसका/पिता का नाम **गजेन्द्र चौधरी** अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्धिकरण किया जावे।

पत्रावली पूर्व में दिनांक 22.1.21 को सुनवायी में तय की गयी। राज्य सरकार के पायलट प्रोजेक्ट DILRMP के तहत तहसील का रेकर्ड ऑनलाईन दर्ज किया जाना है। उक्त सार्वजनिक सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर अधिवक्तागण को सूचित किया गया एवं पत्रावली आज दिनांक को सुनवायी में रखी गयी।

भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब पेश कर स्वीकार किया गया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना–पत्र अनुसार स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना–पत्र व जवाब के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी नाम **गुदड़राम** मौजा **जाजीवाल खींचियान चक नम्बर 1** तहसील व जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 169, 148, 152 व जाजीवाल खींचियान चक नम्बर 3 देवरा के खसरा नम्बर 20, 20/1, 20/2** राजस्व रेकर्ड **गजेन्द्र चौधरी** अंकित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड नाम शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 12.1.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)